



महोबा पुलिस

दिनांक- 25.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 784/26

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 25.09.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
 - जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
 - पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
 - साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।
- महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ





महोबा पुलिस

सर्किल नगर/थाना कोतवाली

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा

01 वांछित एवं 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

प्रभारी निरीक्षक श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह पुलिस बल द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 288/2025 धारा 318(4)/319(2)/336(3)/340(2)/338 बीएनएस एवं धारा 132(1)क,ख,ग,ठ(3) केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अरविन्द कुशवाहा पुत्र गिरजा प्रसाद, उम्र करीब 42 वर्ष, निवासी ग्राम आनन्दपुरा बड़ेराखुर्द, थाना अजनर, जनपद महोबा, हाल निवासी राधानगर कालोनी, मकान नं0 24, मन्डोली सबोली, थाना हर्षनगर, जिला उत्तरी पूर्वी दिल्ली को आज दिनांक 25.09.2026 को थाना परिसर, जनपद महोबा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इसी क्रम में मु0न0 5070/16, अ0सं0 911/15, धारा 10 यू0पी0 गुण्डा अधिनियम से सम्बन्धित वारंटी अभियुक्त करन अहिरवार पुत्र मोहन, निवासी ग्राम करहराकला, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा को दिनांक आज दिनांक 25.09.2026 को उ0नि0 गौरव चौबे मय हमराह पुलिस बल द्वारा ग्राम करहराकला से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. अरविन्द कुशवाहा पुत्र गिरजा प्रसाद, उम्र करीब 42 वर्ष, निवासी ग्राम आनन्दपुरा बड़ेराखुर्द, थाना अजनर, जनपद महोबा, हाल निवासी राधानगर कालोनी, मकान नं0 24, मन्डोली सबोली, थाना हर्षनगर, जिला उत्तरी पूर्वी दिल्ली, सम्बन्धित मु0अ0सं0 288/2025, धारा 318(4)/319(2)/336(3)/340(2)/338 बीएनएस एवं धारा 132(1)क,ख,ग,ठ(3) केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम।
2. करन अहिरवार पुत्र मोहन, निवासी ग्राम करहराकला, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा, सम्बन्धित मु0न0 5070/16, अ0सं0 911/15, धारा 10 यू0पी0 गुण्डा अधिनियम।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक बीरेन्द्र प्रताप सिंह, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा।
2. उ0नि0 गौरव चौबे, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा।
3. हे0का0 शिवमहन्त मौर्य, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा।
4. का0 आमिर खान, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा।





दिनांक- 25.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 787/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी/थाना चरखारी

थाना चरखारी पुलिस टीम ने 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के कुशल नेतृत्व में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा अवैध शराब, जुआ, गांजा एवं अवैध शस्त्र की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना चरखारी पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

थानाध्यक्ष थाना चरखारी श्री राहुल मिश्रा द्वारा गठित पुलिस टीम उ0नि0 श्री हार्दिक सिंह मय हमराह का0 लोकेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा आज दिनांक 25.09.2026 को 01 नफर वारण्टी अभियुक्त अकरम पुत्र इस्माइल, उम्र 40 वर्ष, निवासी छोटा रमना, कस्बा व थाना चरखारी, जनपद महोबा को मनसुख तिराहा के पास, बहद कस्बा चरखारी, थाना चरखारी, जनपद महोबा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त मु0स0 3834/13, अ0स0 134/13, धारा 3/7 ई0सी0 एकट से सम्बन्धित प्रकरण में वारण्टी था। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अकरम पुत्र इस्माइल, उम्र 40 वर्ष, निवासी छोटा रमना, कस्बा व थाना चरखारी, जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री हार्दिक सिंह थाना चरखारी, जनपद महोबा।

2. का0 लोकेन्द्र प्रताप सिंह, थाना चरखारी, जनपद महोबा।

